न्यायालय जिला कलक्टर, दौसा
पीठासीन अधिकारी : देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

प्र.सं. 48/2025 प्रार्थना पत्र स्थानांतरण
1 नाथूलाल पुत्र कन्हैयालाल
2. महावीर प्रसाद पुत्र गोपाल
3 विजयसिंह पुत्र कन्हैया
समस्त जाति गुर्जर निवासी ढिगारिया तहसील लवाण जिला दौसा
बनाम
1 रामअवतार उर्फ रामावतार पुत्र गेंदा
2 रामखिलाडी पुत्र गेंदा
समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम ढिगारिया तहसील लवाण जिला दौसा
3 राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार लवाण तहसील लवाण जिला दौसा
4 रविकान्त आर.ए.एस. पीठासीनअधिकारी उपखण्ड अधिकारी लवाण जिला दौसा

प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पत्रावली विरूद्ध उप जिला कलेक्टर लवाण पीठासीनअधिकारी रविकान्त आर ए एस प्रकरण उनवानी रामअवतार आदि बनाम नाथूलाल आदि प्रकरण संख्या 05/2024 अ०धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आगामी तारीख पेशी दिनांक 4.6.2025

उपस्थित : 1. श्री योगेश जांकड, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री हेमराज गुर्जर, अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 से 2
3. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

—:: निर्णय ::— दिनांक 15.9.2025

1. संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय उप जिला कलक्टर लवाण में विचाराधीन वाद उनवानी रामावतार आदि बनाम नाथमलाल आदि प्रकरण संख्या 5/2024 प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 क राजस्थान टिनेन्सी एक्ट को किसी भी दीगर उप जिला कलक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु स्थानांतरित करने हेतु प्रार्थना पत्र स्थानांतरण पेश किया गया है।
2. स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। उप जिला कलक्टर लवाण से बिन्दुवार टिप्पणी मंगवाई गई।
3. अधिवक्ता प्रार्थीगण ने स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा योग्य अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर लवाण जिला दौसा के यहां प्रार्थना पत्र अन्तर्गतधारा 251 क राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 422 के पश्चिमी डोले के सहारे सहारे 10 फीट चौडा व 60 मीटर लम्बा रास्ता कायम किये जाने के अनुतोष के साथ प्रस्तुत किया था जिसमें आगामी पेशी 4—6—2025 नियत है। अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की कार्यशैली एवम उनके व्यवहार से प्रार्थीगण को ऐसा प्रतीत हुआ कि पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को सदोष लाभ पहुचांना चाहते है तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के [illegible] प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि [illegible] करना चाहते है जिस हेतु पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में नजदीक नजदीक की पेशीयां दी जा रही है इसके अलावा यहां यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि उक्त प्रकरण में तहसीलदार लवाण द्वारा वास्तविक तथ्यो की रिपोर्ट अधिनस्थ न्यायालय में पेश कर दी थी जिसका उल्लेख

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:23:18 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर,दौसा

आदेशिका दिनांक 23–4–2025 में अंकित है किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को सदोष लाभ पहुचांने के उद्वेश्य से तहसीलदार लवाण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को निर्धारित प्रपत्र एवम बिन्दुओ पर न मानते हुए संशोधित रिपोर्ट पेश करने हेतु तहसीलदार लवाण को मूल ही वापस भिजवा दी गई जबकि मूल रिपोर्ट पत्रावली का भाग थी जिसे पत्रावली में शामिल रखा जाना चाहिए था जो पीठासीन अधिकारी की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगाती है। तथा प्रकरण में नियत तारीख पेशी पर कोई ऑर्डरशीट नही लिखी जाती है बल्कि तारीख पेशी अंकित कर छोड दिया जाता है और बाद में मनमाने आदेशिका अंकित की जाती है उक्त प्रकरण मे भी दिनांक 30–4–2025 की पेशी के दिवस आदेशिका लिखकर प्रकरण में ता०पेशी 7–5–25 नियत की गई प्रार्थी ने सम्पूर्ण आदेशिका की नकल हेतु आवेदन दिनांक 28.5.2025 को किया गया तथा नकल दिनांक 30.5.2024 को दी गई है। परन्तु प्रार्थी को दिनांक 30.4.2025 तक की आदेशिका की नकल उपलब्ध करवाई गई व उसके बाद की आदेशिकाओ की नकल जान बूझ कर प्रार्थी को इस उपलब्ध नही करवाई गई है जिससे यह तथ्य प्रमाणित है कि दिनांक 30–5–2025 तक नकले तैयार करते समय आदेशिका दिनांक 7.5.2025 से आगे की लिखी ही नही गई है जो कि पीठासीन अधिकारी की कार्यशैली एवम न्याय की विफलता को प्रमाणित करती है। प्रार्थी को यकीन उस वक्त हुआ जब गांव के कुछ लोगो ने प्रार्थी को बताया कि अप्रार्थीगण संख्या 1 ने गांव में चन्द लोगो से कहा है कि उनकी पीठासीन अधिकारी से बात हो गई है वह तारीख पेशी पर उक्त प्रकरण को हमारे हक में फैसला करते हुए रास्ता घोषित कर देंगे। अप्रार्थी संख्या 1 को पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में बाते करते देखा है तथा अप्रार्थीगण ने दिनांक 3–6–2025 को प्रार्थी को धमकी दी है कि हमारी पीठासीन अधिकारी से बात हो गई है उक्त प्रकरण को तारीख पेशी पर हमारे हक में फैसला करवा लेंगे और तुम्हारी भूमि में से रास्ता कायम करवा लेंगे। अधीनस्थ न्यायालय के के पीठासीन अधिकारी अप्रार्थीगण को सदोष लाभ पहुचांने पर आमादा है तथा पीठासीन अधिकारी भी खुले आम कह रहे है कि मैं उक्त प्रकरण को आगामी पेशी पर डिक्री कर रास्ता कायम करने का निर्णय पारित करूंगा यदि उपखण्ड अधिकारी एवम अप्रार्थीगण अपने कलुषित उद्वेश्य की पूर्ति में सफल हो जाते है तो प्रार्थी अपने जायज हक हकूक अधिकारो से वंचित हो जावेगा। प्रार्थी को उपखण्ड अधिकारी से न्याय की कोई उम्मीद नही है। अधिनस्थ उपखण्ड अधिकारी की कार्यवाही उनके कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाती है। पीठासीन अधिकारी आनन फानन में उक्त प्रकरण को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के हक में फैसला कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि मे रास्ता कायम करने पर आमादा है ऐसी सूरत में प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी से न्याय की कोई उम्मीद नही है। न्याय का भी यह सिद्वान्त है कि जब पीठासीन अधिकारी से न्याय की कोई उम्मीद नही रहे तो प्रकरण की सुनवाई वहां किया जाना कतई आवश्यक एवम न्यायोचित नही है ऐसी सूरत में उक्त प्रकरण को किसी अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण कर सुनवाई किया जाना आवश्यक है एवम तब अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लवाण में होने वाली आगामी प्रोसीडिंग कार्यवाही को स्थगित फरमाया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण स्वीकार फरमाया जाकर प्रकरण उनवानी रामअवतार आदि बनाम नाथूलाल आदि प्रार्थना पत्र अ०धारा 25[illegible] अधिनियम आ. पेशी 4–6–2025 को किसी अन्यत्र न्यायालय सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित फरमाने की कृपा करे एवम तब तक अधिनस्थ न्यायालय में होने वाली [illegible] कार्यवाही को स्थगित फरमाने की कृपा करे।

4. अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 से 2 ने बहस में कथन किया कि उप जिला कलक्टर लवाण के द्वारा विचाराधीन वाद में पक्षकारान को जवाब और सुनवाई का विधिवत अवसर प्रदान किया जा रहा है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रकरण को विलंब करने की गरज से यह प्रार्थना

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:23:18 IST
Reason: SelfAttested

Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर,दौसा

पत्र स्थानान्तरण पेश किया गया है। उप जिला कलक्टर लवाण के द्वारा अपनी टिप्पणी के साथ विचाराधीन वाद की संपूर्ण आदेशिका की प्रति प्रस्तुत की गई है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज फरमाया जावे।

5. उप जिला कलक्टर लवाण से बिन्दुवार टिप्पणी प्राप्त की गई जिसके अनुसार प्रार्थीगण द्वारा लगाये गये आरोप दुर्भावना व उत्तेजना के आधार पर लगाये गये है। प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण प्रकरण के निस्तारण में अनावश्यक विलंब करने के लिए पेश किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र की श्रीमान के न्यायालय से पत्र प्राप्त होने से दिनांक 25.6.2025 के बाद प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। आरोप पूर्णतः काल्पनिक एवं मनगढंत है। यदि प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को इस न्यायालय से दीगर न्यायालय में स्थानान्तरण किया जाता है तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

6. हमने उपस्थित अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7. प्रार्थीगण ने स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि पीठासीन अधिकारी की कार्यशैली एवम उनके व्यवहार से पीठासीन अधिकारी अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को सदोष लाभ पहुचांना चाहते है तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मे होकर जबरन रास्ता कायम करना चाहते है जिस हेतु पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में नजदीक नजदीक की पेशीयां दी जा रही है। साथ ही प्रार्थी को उपखण्ड अधिकारी से न्याय की कोई उम्मीद नही है। पीठासीन अधिकारी आनन फानन में उक्त प्रकरण को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के हक में फैसला कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि मे रास्ता कायम करने पर आमादा है लेकिन उक्त कथनों के समर्थन में प्रार्थीगण द्वारा कोई साक्ष्य अथवा दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत नहीं किये गये है जिससे उनकी बात को बल मिलता हो। उप जिला कलक्टर लवाण द्वारा प्रस्तुत आदेशिका की प्रति के अवलोकन से भी यह ज्ञात नहीं होता है कि पकरण में नजदीकी तारीख पेशियां दी जा रही है।

14. उपरोक्त विवेचन के आधार पर उप जिला कलक्टर लवाण में विचाराधीन प्रकरण में विचाराधीन वाद उनवानी उनवांनी रामावतार आदि बनाम नाथमलाल आदि प्रकरण संख्या 5/2024 प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 क राजस्थान टिनेन्सी एक्ट को दीगर उप जिला कलक्टर को स्थानान्तरित करने हेतु प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर लवाण को निर्णय की प्रति भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक15 सितम्बर, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में नियत समयावधि के भीतर की जा सकेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:23:18 IST
Reason: SelfAttested

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा